न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: के.आर.खोड़, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

श्रीमति भूरीदेवी पत्नि सांकलाजी, जाति-सरगडा, निवासी-सिन्दरथ, तह. व जिला-सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. उपखण्ड अधिकारी, सिरोही
2. श्री हिम्मतराम पुत्र भबूताजी, जाति-रावल, निवासी-सिन्दरथ, तहसील व जिला-सिरोही के कायम मुकाम:-

2/1. विमलादेवी पत्नि स्व. हिम्मतराम जी, जाति-रावल, निवासी- सिन्दरथ, तहसील व जिला- सिरोही

2/2. सिखु पुत्री स्व. हिम्मतराम जी पत्नि हरिश जी, जाति-रावल, निवासी- सिरोही, तहसील व जिला- सिरोही

2/3. रेखा पुत्री स्व. हिम्मतराम जी, जाति-रावल, निवासी- राजमाता धर्मशाला के पास, सिरोही, तहसील व जिला- सिरोही

2/4. परेश रावल पुत्र स्व. हिम्मतराम जी, जाति-रावल, निवासी- सिरोही के कायम मुकाम:-

2/4.(1) श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नि स्व. परेश रावल, जाति- रावल, निवासी- सिरोही

2/4.(2) जिग्नेश पुत्र स्व. परेश रावल, जाति-रावल, निवासी- सिरोही, जिला-सिरोही

2/4.(3) श्रीमती रिंकु पुत्री स्व. परेश रावल पत्नि कमलेश जी, जाति-रावल, निवासी- राजमाता धर्मशाला के पास, सिरोही, तहसील व जिला- सिरोही

2/5. पिंटू रावल पुत्र स्व. हिम्मतरामजी, जाति-रावल, निवासी- सिरोही, जिला-सिरोही

2/6. आशिंया उर्फ अश्विन पुत्र स्व. हिम्मतराम जी, जाति-रावल, निवासी- राजमाता धर्मशाला के पास, सिरोही

3. भूमि आवंटन सलाहकार समिति जरिये उपखण्ड अधिकारी, सिरोही
4. तहसीलदार, सिरोही

राजस्व निगरानी संख्या: 05/2013

"प्रार्थना पत्र अर्न्तगत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970"

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पुरी, प्रार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया, अप्रार्थी संख्या-2/1 से 2/3, 2/5 व 2/6 की ओर से
3. पेरोकार सरकार, अप्रार्थी संख्या 1, 3 व 4 की ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 21 जनवरी, 2022**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है, प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र भूमि आवंटन सलाहकार समिति की अनुशंषा [illegible] अधिकारी, सिरोही द्वारा वर्ष .....पेज दो पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:07:31 IST
Reason: SelfAttested

अ. जिला कलक्टर
सिरोही [illegible]

1981 में श्री हिम्मतराम पुत्र भबूताराम जी, जाति- रावल, निवासी- सिन्दरथ को ग्राम सिन्दरथ के पुराने खसरा संख्या 186 में रकबा 2.00 बीघा भूमि का किया गया आवंटन निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी हिम्मतराम की ओर से अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या 1, 3 व 4 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या-2 (हिम्मतराम) के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी तहसीलदार, सिरोही की ओर से भी प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत हुआ। प्रकरण की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या-2 (हिम्मतराम) की मृत्यु हो जाने पर अप्रार्थी संख्या-2 के विधिक वारिसान को पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद सुनवाई पक्षकार अप्रार्थी संख्या-2 (हिम्मतराम) के विधिक वारिसान को पक्षकार बनाये जाने के आदेश पारित किये गये। प्रकरण की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या 2/4 (परेश रावल) की मृत्यु हो जाने से अप्रार्थी संख्या 2/4 के विधिक वारिसान को पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ। जिस पर बाद सुनवाई पक्षकारान अप्रार्थी संख्या 2/4 (परेश रावल) के विधिक वारिसान को पक्षकार बनाये जाने के आदेश पारित किये गये। तद्नुसार प्रार्थी की ओर से संशोधित अनवान प्रस्तुत हुआ।

(3) उभय पक्ष की बहस सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थीया के पति सांकलाजी पुत्र वनाजी भूमिहीन व्यक्ति होने से भूमि आवंटन एवं नियमन सलाहकार समिति की अनुशंषा पर उपखण्ड् अधिकारी, सिरोही द्वारा दिनांक 04.11.1970 को ग्राम सिन्दरथ, तहसील- सिरोही के पुराने खसरा संख्या 186 रकबा 2.00 बीघा भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया था। प्रार्थीया के पति सांकला पुत्र वनाजी सरगरा को उपखण्ड् अधिकारी, सिरोही द्वारा ग्राम सिन्दरथ के खसरा संख्या 91 में 7 बीघा 6 बिस्वा व खसरा संख्या 92 में 19 बिस्वा, खसरा संख्या 186 में 2.00 बीघा का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन आदेश दिनांक 24.11.1973 को किया गया था। उक्त भूमि आवंटन के पूर्व से मौके पर प्रार्थीया के पति सांकलाराम जी काबिज थे। प्रार्थीया के पति को उपखण्ड् अधिकारी, सिरोही द्वारा उक्त खसरा संख्या 186 में रकवा 2 बीघा भूमि का कृषि प्रयोजन हेतु आवंटन होने के बाद राजस्व अधिकारियों द्वारा नामान्तरकरण दर्ज नही करने के कारण राजस्व अधिकारियों को कई बाद आवेदन प्रस्तुत किये गये, लेकिन राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद का नामान्तरकरण दर्ज नही किया गया। तत्पश्चात् प्रार्थीया के पति की मृत्यु के बाद प्रार्थीया ने प्रशासन गांवों के संग अभियान व उपखण्ड् अधिकारी व जिला कलक्टर, सिरोही को आवेदन प्रस्तुत किया, लेकिन कोई कार्यवाही नही की गई जिससे उक्त कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड में बिलानाम ही दर्ज रही है। प्रार्थीया के पति को खसरा संख्या 186 का आवंटन होने के बाद राजस्व अधिकारियों की गलती के कारण [illegible] में नामानतरकरण दर्ज नही होने के कारण राजस्व रेकर्ड में भूमि बिलानाम [illegible] उक्त कृषि

....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:07:31 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]
सिरोही ([illegible])

भूमि मौके पर खाली नही होते हुए व मौके पर प्रार्थीया के पति का कब्जा होते हुए भी खसरा संख्या 186 की भूमि का भूमि आवंटन सलाहाकार समिति की सिफारिश पर वर्ष 1981 में अप्रार्थी श्री हिम्मतराम को आवंटित कर दी गई, जो कानूनन विधि सम्मत नही है। प्रार्थीया के पति सांकलाजी पुत्र वनाजी सरगडा को खसरा संख्या 186 रकबा 2 बीघा भूमि का आवंटन निरस्त हुए बिना खसरा संख्या 186 की उसी भूमि का पुनः किसी अन्य व्यक्ति को आवंटन नही जा सकता है। मौके पर भी प्रार्थीया के पति का कब्जा-काश्त है एवं प्रार्थीया के पति की मृत्यु के बाद मौके पर प्रार्थीया काबिज काश्त है, इस कारण अप्रार्थी हिम्मतराम को खसरा संख्या 186 में आंवटित भूमि का राजस्व अधिकारियों द्वारा नामान्तरकरण दर्ज नही किया गया है, लेकिन बाद में राजस्व अधिकारियों से मेल मिलाप कर दिनांक 20.8.1997 को नामान्तरकरण दर्ज करवा दिया जिसके नामान्तरकरण संख्या 699 है। उसके बाद प्रार्थीया द्वारा पुनः जिला कलक्टर, सिरोही को जन सुनवाई के दौरान प्रार्थीया के पति सांकलाजी पुत्र वनाजी को आवंटित भूमि का नामान्तरकरण दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जो तहसीलदार, सिरोही को जांच हेतु भेजा गया। जिला कलक्टर कार्यालय, सिरोही के पत्र क्रमांक/जन सुनवाई/2007/255 दिनांक 03.7.2007 के क्रम में प्रेषित मौका फर्द में ग्राम सिन्दरथ के खसरा संख्या 186 रकबा 2.00 बीघा भूमि के मौके पर शिकायकर्ता अर्थात् प्रार्थीया भूरीदेवी को काबिज बताया गया है। इसी तरह, तहसीलदार, सिरोही के पत्र क्रमांक:जन सुनवाई/07/583 दिनांक 25.9.2009 से प्रेषित रिपोर्ट में भी उक्त खसरा संख्या 186 रकबा 2.00 बीघा भूमि पर शिकायतकर्ता अर्थात् प्रार्थीया भूरीदेवी को काबिज बताया गया है। प्रार्थीया के पति सांकलाजी पुत्र वनाजी को खसरा संख्या 186 की रकबा 2.00 बीघा भूमि का आवंटन आदेश आज भी अस्तित्व में है व उसे अभी तक निरस्त नही किया गया है। जब पूर्व में जारी आवंटन आदेश को निरस्त नही किया है तो उसी भूमि का पुनः अप्रार्थी हिम्मतराम को वर्ष 1981 में भूमि आवंटन सलाहकार समिति की अनुशंषा पर उपखण्ड अधिकारी, सिरोही द्वारा किया गया आवंटन आरम्भतः शून्य है एवं ऐसे आवंटन के आधार पर अप्रार्थी हिम्मतराम व उसके विधिक वारिसान को खसरा संख्या 186 रकबा 2.00 बीघा भूमि में किसी भी प्रकार के हक अधिकार पैदा नही होते है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी हिम्मतराम पुत्र भबूता जी रावल, निवासी- सिन्दरथ को ग्राम सिन्दरथ के खसरा संख्या 186 रकबा 2.0.0 बीघा भूमि का वर्ष 1981 में भूमि आवंटन सलाहकार समिति की अनुशंषा पर उपखण्ड अधिकारी, सिरोही द्वारा किया गया आवंटन निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या-2/1 से 2/3, 2/5 व 2/6 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि भूमि आवंटन सलाहकार समिति की अनुशंषा पर वर्ष 1981 में उपखण्ड अधिकारी, सिरोही द्वारा अप्रार्थी हिम्मतराम पुत्र भबूता जी रावल, निवासी- सिन्दरथ को ग्राम सिन्दरथ के खसरा संख्या 186 में रकबा 2.00 बीघा भूमि का नियमानुसार आवंटन किया गया है। आवंटन के समय आवंटित भूमि राजस्व रेकर्ड में बिलानाम दर्ज थी एवं मौके पर खाली पडी थी। भूमि का अप्रार्थी हिम्मतराम पुत्र भबूता जी रावल को आवंटन होने के बाद नियमानुसार कब्जा सुपर्द कर गैर खातेदारी का नामान्तरकरण दर्ज किया गया एवं मौके पर अप्रार्थी

....पेज चार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:07:31 IST
Reason: SelfAttested

सिरोही (राज.)

हिम्मतराम का कब्जा-काश्त होने व आवंटन शर्तो की पालना होने से आवंटित भूमि खसरा संख्या 186 रकबा 2.00 बीघा भूमि के खातेदारी अधिकारी भी आवंटि हिम्मतराम पुत्र भबूता जी रावल, निवासी- सिन्दरथ को प्रदान किये जा चुके है तथा राजस्व रेकर्ड में खसरा संख्या 186 रकबा 2.00 बीघा भूमि खातेदार भूमि दर्ज है। यह कि खसरा संख्या 186 बहुत बडा चक है तथा अप्रार्थी हिम्मतराम को आवंटित भूमि पर प्रार्थीया के पति या प्रार्थीया का कभी भी कब्जा नही रहा है। यह कि प्रार्थीया के पति सांकला पुत्र वना जी सरगरा, निवासी- सिन्दरथ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में तहसीलदार, सिरोही से जांच करवाई गई एवं जिला कलक्टर, सिरोही के पत्र क्रमांक/आस्था/396/2001/37 दिनांक 14.2.2002 से सांकला पुत्र वना जी सरगरा, निवासी- सिन्दरथ को सूचित किया गया है कि वर्ष 1970 में मौजा सिन्दरथ के खसरा संख्या 91, 92 व 186 में कुल 10 बीघा भूमि आवंटन हुई थी। तत्पश्चात् आवंटन शर्तो की पालना नही करने से आवंटन निरस्त कर दिया गया था एवं भूमि बिलानाम होने से वर्ष 1981 में अन्य व्यक्तियों को आवंटित कर दी गई थी जो वर्तमान में रेकर्डेड खातेदार है व मौके पर काबिज है। अप्रार्थी हिम्मतराम पुत्र भबूता जी रावल को वर्ष 1981 में भूमि का आवंटन किया जाकर कब्जा सुपर्द किया था उसके बाद में अप्रार्थी हिम्मतराम व उसके परिवारजन विवादित भूमि पर बतौर खातेदार काबिज होकर काश्त कर रहे है। विवादित भूमि प्रार्थीया या उसके पति का कोई कब्जा कभी भी नही रहा है। खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के 34 वर्ष बाद प्रार्थीया ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी पक्ष के अधिवक्ता ने बहस के दौरान विधिक दृष्टान्त RBJ(16) 2009 Page 201, 1995(2) RBJ 780 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि खातेदारी अधिकार दिये जाने के बाद नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के तहत आवंटन को निरस्त नही किया जा सकता है। विधिक दृष्टान्त 2016(2) RRT 756, RBJ(23) 2016 Page 102-107 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह भी व्यक्त किया कि अप्रार्थी हिम्मतराम को वर्ष 1981 में भूमि आवंटन हुई व उसके बाद उस भूमि के खातेदारी अधिकार भी दिये जा चुके है। भूमि के आवंटन होने के करीब 32 वर्ष बाद प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है जो अतिशय विलम्ब से प्रस्तुत किया है, अयुक्तियुक्त विलम्ब के बाद शक्ति का उपयोग नही किया जा सकता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि श्री हिम्मतराम पुत्र भबूताराम जी रावल, निवासी- सिन्दरथ को ग्राम सिन्दरथ के खसरा संख्या 186 में रकबा 2.00 बीघा भूमि का आवंटन होने के बाद नियमानुसार खातेदारी अधिकार. प्रदान किये जा चुके है एवं वर्तमान राजस्व रेकर्ड में आवंटित भूमि खातेदारी भूमि दर्ज है।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया कि भूमि आवंटन सलाहकार समिति की अनुशंषा पर उपखण्ड अधिकारी, सिरोही द्वारा वर्ष 1981 में श्री हिम्मतराम पुत्र भबूताराम जी जाति- रावल,

....पेज पांच पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:07:31 IST
Reason: SelfAttested

निवासी- सिन्दरथ को ग्राम सिन्दरथ के पुराने खसरा संख्या 186 में रकबा 2.00 बीघा भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया है। तत्पश्चात् नामान्तरकरण संख्या 699 दिनांक 23.8.1997 के द्वारा उक्त आवंटित भूमि हिम्मतराम पुत्र भबूताराम जी, जाति- रावल, निवासी- सिन्दरथ के नाम से राजस्व रेकर्ड में बतौर गैर खातेदार दर्ज की गई। तत्पश्चात् नामान्तरकरण संख्या 782 दिनांक 23.9.2009 के द्वारा हिम्मतराम पुत्र भबूताराम, जाति- रावल, निवासी- सिन्दरथ के नाम से राजस्व रेकर्ड में उक्त आवंटित भूमि बतौर खातेदार दर्ज की गई है, जो वर्तमान राजस्व रेकर्ड में खातेदारी भूमि दर्ज है।

प्रार्थी का मुख्यतः कथन यह है कि "प्रार्थीया के पति सांकला पुत्र वनाजी, जाति- सरगरा को भूमि आवंटन सलाहकार समिति की अनुशंषा पर उपखण्ड् अधिकारी, सिरोही द्वारा ग्राम सिन्दरथ के पुराने खसरा संख्या 186 में रकबा 2.00 बीघा भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन दिनांक 04.11.1970 को किया गया था, लेकिन उक्त आवंटन का प्रार्थीया के पति के नाम से राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद नही हुआ। प्रार्थीया के पति को आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त हुये बिना एवं आवंटन आदेश के अस्तित्व में रहते हुए उसी भूमि का पुनः अप्रार्थी हिम्मतराम पुत्र भबूता जी रावल को आवंटन किया गया है, जो विधि विरुद्ध है।" पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जिला कलक्टर, सिरोही के पत्र क्रमांक/आस्था/396/2001/37 दिनांक 14.2.2002 (जो सांकला पुत्र वना जी सरगरा, निवासी- सिन्दरथ को प्रेषित किया गया है) में यह अंकित किया है कि "तहसीलदार, सिरोही की रिपोर्ट अनुसार आपको वर्ष 1970 में मौजा सिन्दरथ के ख.सं. 91, 92 व 186 में कुल 10 बीघा भूमि आवंटिन हुई थी, तत्पश्चात् आवंटन शर्तो की पालना नही करने से आवंटन निरस्त कर दिया गया था एवं भूमि बिलानाम होने से वर्ष 1981 में अन्य व्यक्तियों को आवंटन कर दी गई थी जो वर्तमान में रेकर्डेड खातेदार है व मौके पर काबिज है।" इससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थीया के पति सांकला पुत्र वनाजी सरगरा, निवासी- सिन्दरथ को ग्राम सिन्दरथ के खसरा संख्या 186 रकबा 2.00 बीघा भूमि का आवंटन की शर्तो की पालना नही करने से आवंटन निरस्त कर दिया गया था एवं भूमि बिलानाम होने से वर्ष 1981 में अन्य व्यक्तियों को आवंटित कर दी गई थी, जो राजस्व रेकर्ड में खातेदार दर्ज है।

विधिक दृष्टान्त RBJ(16) 2009 Page 201 में माननीय राजस्व मण्ड्ल राजस्थान, अजमेर ने यह अभिनिर्धारित किया है कि खातेदारी अधिकार दिये जाने के बाद नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के तहत आवंटन को निरस्त नही किया जा सकता है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने विधिक दृष्टान्त 1995(2) RBJ 780 ने यह अभिनिर्धारित किया है कि खातेदारी अधिकारों की पुष्टि होने के बाद नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के तहत आवंटन निरस्त नही किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:07:31 IST
Reason: SelfAttested

(के.आर.खौड़)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही